न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 22/15 **निर्णय दिनांक– 11.10.2018**

1. रणजीत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति रायसिख निवासी चक 15 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. बखा खातून पुत्री मौकम खॉ जाति मुसलमान निवासी खाजुवाला।
2. जूले खातून पुत्री मौकम खॉ जाति मुसलमान निवासी खाजुवाला।
3. जूलाई खातून
4. फत्ता खातून — जरिये प्राकृतिक पिता मौकम खॉ जाति
5. अमला खातून — मुसलमान निवासी खाजुवाला।
6. जन्नत खातून
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 03–01–2012

उपस्थितः–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री फूसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवला के आदेश दिनांक 03–01–2012 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रास्ता मंजूर करने का अनुतोष स्वीकार नहीं किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 15 कवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/60 में 24.10 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट खरीद की दिनांक से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि चक 15 केवाईडी व चक 13 केवाईडी की सीमापार 15 केवाईडी पर स्थिति है। जिसमें आने—जाने के लिए प्रार्थी को नहर पुलिया केवाईडी नहर से उतर कर मुरब्बा नम्बर 137/2 के किला नम्बर 21 में स्वीकृतशुदा रास्ते से होकर मुरब्बा नम्बर 137/3 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से उतर कर प्रार्थी की कृषि भूमि व चक 15 केवाईडी की कृषि भूमि पर प्रवेश करता है तथा यही एकमात्र रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध है। मुरब्बा नम्बर 117/60 में आवागमन हेतु किसी भी मुरब्बे में से कोई रास्ता नहीं जुड़ता है। ऐसीस्थिति में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा चक 13 केवाईडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 137/2 के किला नम्बर 21 में कटानी दर्ज है तथा शेष 137/3 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 2—2 बिस्वा रास्ता कायम कर चालु करवाने का निवेदन अदालत मातहत के समक्ष किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया गया कि चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/60 में प्रवेश के लिए मुरब्बा नम्बर 117/52 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2—2 बिसवा रास्ता स्वीकृतशुदा है इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 117/60 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 में 2—2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता है। जिसे अपीलांट/प्रार्थी रणजीतसिंह ने मौके पर बन्द कर रखा है। जबकि अपीलांट ने ऐसा कभी भी मुरब्बा नम्बर 117/52 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2—2 बिस्वा का रास्ता कभी बंद नहीं किया गया है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कथन किया गया था कि अपीलांट के खेत में आवागमन हेतु मुरब्बा नम्बर 137/3 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के 2—2 बिस्वा का रास्ता जो पूर्व से चला आ रहा है के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इसी रास्ते से अपीलांट वर्षो से आना जाना करता आ रहा है। उक्त रास्ता बंद होने से अपीलांट अपने खेत में कृषि कार्य नहीं कर सकेगा।

अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट के अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं?

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 15 केवाईउी के मुरब्बा नम्बर 117/60 में प्रवेश के लिए मुरब्बा नम्बर 117/52 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है तथा मुरब्बा नम्बर 117/60 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 में 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत शुदा है। जिसे अपीलांट ने मौके पर बन्द कर रखा है। अपीलांट अपने मुरब्बा नम्बर 117/60 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से स्वीकृतशुदा 2—2 बिस्वा रास्ते को बन्द करके रेस्पोडेन्ट के मुरब्बा नम्बर 117/50 में प्रवेश का रास्ता बन्द करना चाहता है ताकि रेस्पोडेन्ट तंग व परेशान होकर चक 13 केवाईडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 137/3 में से रास्ता प्रदान कर दे।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत से समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन्स

एक्ट 1955 एवं धारा 155 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं वादगत् भूमि के संबंध में पस्तुत नजरी नक्शे व पैरोकार राज की रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् यह पाया गया कि अपीलांट के आवागमन हेतु पूर्व से ही मुरब्बा नम्बर 117/52 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट के पास पूर्व में ही अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में नया रास्ता कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत से समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कण्डीशन्स एक्ट 1955 एवं धारा 155 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) इस संबंध मं हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/60 की 24. 10 बीघा भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/3 में से रास्ते की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में जवाब अप्रार्थी व रिपोर्ट पैरोकार राज व नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया।

(3) प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि अपीलांट/प्रार्थी के पास अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से ही मुरब्बा नम्बर 117/52 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1995 की धारा 8 (2) के तहत रास्ता कायम/प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित नहीं है।

उक्त शर्ते के अध्यधीन तभी रास्ता कायम किया जा सकता है जब रास्ते की आवश्यकता जनहित में हो।

(4) प्रकरण में चूंकि अपीलांट/प्रार्थी के पास अपने खेत में आवगमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में उक्त धारा के तहत अपीलांट/प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा भी अपने विवेचन में यह अंकित किया गया है कि वादी के पास पूर्व में ही अपने चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/52 के किला नम्बर 21 ता 25 में से स्वीकृतशुदा रास्ता विद्यमान होने से अपीलांट/प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना वैधानिक नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(5) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पटवारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि अपीलांट/प्रार्थी के पास अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र मौखिक कथन से अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट के पास अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 03—01—2012 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर